भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.82

01.12.2025 को उत्तर के लिए

तमिलनाडु में तटीय आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्टी) योजना के अंतर्गत मैंग्रोव क्षेत्रों का पुनरुद्धार

82. श्री एस. जगतरक्षकनः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु में तटीय आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्टी) योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है, और अब तक चिह्नित, पुनर्स्थापित और पुनर्स्थापना में शामिल अधीन कुल क्षेत्रफल कितना है और इसके पूरा होने की समय-सीमा क्या है;

(ख) क्या मिष्टी योजना ने अपनी पुनर्स्थापना रणनीति के हिस्से के रूप में तमिलनाडु के तटीय समुदायों के पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान और प्रथाओं को शामिल किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मिष्टी ढांचे के अंतर्गत तमिलनाडु में पारिस्थितिकी स्थिरता, जैव विविधता संरक्षण और पुनर्स्थापित मैंग्रोव क्षेत्रों के दीर्घकालिक रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) तमिलनाडु में इस योजना के अंतर्गत स्थानीय मछुआरों, महिला स्वयं सहायता समूहों और किसानों के लिए क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और आजीविका संवर्धन संबंधी पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) बजट घोषणा 2023-24 के एक भाग के रूप में, मैंग्रोव को बढ़ावा देने और बहाल करने तथा तटीय पारि-प्रणाली की अनुकूलता को बढ़ाने के लिए तटीय आवासों और मूर्त आय (मिष्टी) के लिए मैंग्रोव पहल शुरू की गई थी। इस योजना का कार्यान्वयन राज्य/राष्ट्रीय काम्पा, मनरेगा और राज्य योजनाओं सहित विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर किया जाता है। मिष्टी कार्यक्रम में वृक्षारोपण और बहालीकरण जैसे मुख्य कार्यकलाप तथा सहायक कार्यकलाप जैसे आजीविका के स्रोतों का विविधीकरण, जागरूकता फैलाना और क्षमता निर्माण करना, अनुसंधान और विकास, प्रचार और जनसंपर्क, निगरानी और आकलन तथा स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से पारि-पर्यटन को बढ़ावा देने, जैसे दोनों कार्यकलाप

शामिल हैं और इन्हें मिष्टी के तहत राज्यों से प्राप्त योजनाओं के अनुसार अपनाया जाता है। तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक 1** में दिए गए हैं।

तमिलनाडु वन विभाग ने सामुदायिक भागीदारी के साथ बड़े पैमाने पर मैंग्रोव बहाली की है। वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 तक, संशोधित फिश-बोन डिजाइनों का उपयोग करके नाबार्ड, ग्रीन तमिलनाडु मिशन (जीटीएम) और एनएचएआई स्कीमों के तहत 95 हेक्टेयर में नए मैंग्रोव लगाए गए थे। इसके अतिरिक्त, जीटीएम के तहत 250 हेक्टेयर अवक्रमित मैंग्रोव वन बहाल किए गए और केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) और रैखिक तरीकों का उपयोग करके 52,000 मैंग्रोव बीज लगाए गए। अब तक, वर्ष 2023-24 से तमिलनाडु में 1082 हेक्टेयर सहित अवक्रमित मैंग्रोव के वृक्षारोपण और बहाली के लिए 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अभिसरण के माध्यम से 22,560.34 हेक्टेयर के क्षेत्र को शामिल किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने मिष्टी के तहत राष्ट्रीय काम्पा से वित्त पोषण अंतराल के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

*****

अनुलग्नक 1

"तमिलनाडु में तटीय आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्टी) योजना के अंतर्गत मैंग्रोव क्षेत्रों का पुनरुद्धार" के संबंध में श्री एस. जगतरक्षकन द्वारा दिनांक 01.12.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 82 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

मिष्टी की शुरुआत से अब तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार मैंग्रोव पौधरोपण और अभिसरण के माध्यम से पुनरूद्धार:

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

क्रम सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2023-24**	**2024-25**	**कुल**
1	आंध्र प्रदेश	248.72	700.50	949.22
2	गोवा	35.80	6.00	41.80
3	गुजरात	6930.00	12290.00	19220
4	कर्नाटक	135.00	220.00	355.00
5	केरल	0.00	5.00	5.00
6	महाराष्ट्र	138.27	184.49	322.76
7	ओडिशा	352.00	366.00	718.00
8	तमिलनाडु	590.00	492.00	1082.00
9	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00
10	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8.50	11.00	19.50
11	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	40.92	10.00	50.92
12	लक्षद्वीप	0.003	0.025	0.028
13	पुदुचेरी	7.00	12.00	19.00
	कुल	**8,423.13**	**14137.2**	**22560.33**